महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-16/354/84-डे0ई0-15-नि0-64/08

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 10 जून, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की भोजन व्यवस्था हेतु गेहूँ एवं चावल की आपूर्ति के लिए संशोधित दरों का अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-102स्था0एस0/बत्तीस-2015, दिनांक 23-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की भोजन व्यवस्था के लिए निविदा समिति की संस्तुति के अनुसार गेहूँ की न्यूनतम दर रू0 2007.00 (रूपये दो हजार सात मात्र) प्रति कुन्तल एवं चावल की न्यूनतम दर रू0 2340.00 (रूपये दो हजार तीन सौ चालीस मात्र) प्रति कुन्तल के संबंध में कारागार विभाग द्वारा दिये परामर्श के क्रम में निगोशिएशन में प्राप्त गेहूँ की संशोधित न्यूनतम दर रू0 2003.00 (रूपये दो हजार तीन मात्र) प्रति कुन्तल एवं चावल की संशोधित न्यूनतम दर रू0 2335.00 (रूपये दो हजार तीन सौ पैंतीस मात्र) प्रति कुन्तल पर एतद्द्वारा इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया जाता है कि प्रश्नगत खाद्यान्न क्रय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि किसी भी दृष्टिकोण से वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न न हो सके। तद् नुसार तत्काल अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-354(1)/84-डे0ई0-2015तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

आज्ञा से,

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/